अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

119/2020/बाज० धन्नालाल/ पु० छोटी वगै०

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2020/105.14 — 9A-5 श्री मोहम्मद इकबाल श्री रामसुख चौधरी-1, 3, 2	

4.8.22

धन्ना लाल वगैरह बनाम छोटी वगैरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2/1 से 2/3 व 3 उपस्थित। प्रार्थना पत्र (रेस्टोरेशन)में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 9 एवं धारा 151 जा.दी. पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व रेस्टोरेशन प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित नियम 09 एवं धारा 151 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 02 श्रीमती शांति पुत्री डाला के वारिसान क्रमशःगौरतमल, श्रीमती पुष्पा, श्रीमती जमना को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. मय धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपील में बरवक्त लगाये जाने आवाज अपीलांट के अभिभाषक श्री अनिल गौड़ न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके तथा अभिभाषक ने अपीलांट को यह विश्वास दिला रखा था कि उपरोक्त अपील में तारीख पेशी पर पेशी स्वयं साध लेंगें। आपको आने की आवश्यकता नहीं है जिससे पक्षकार भी उपरोक्त पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका। जिससे उपरोक्त अपील दिनांक 16.10. 2018 को अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। अपील के अदम हाजिरी में खारिज होने के बाबत जानकारी अपीलांट को पूर्व में कभी भी नहीं थी। अपीलांट के द्वारा दिनांक 02.07.2020 को अभिभाषक श्री गौड के निवास स्थान पर जाकर सम्पर्क किया और अपील के बारे में जानकारी चाही तो अभिभाषक पहले तो गोलमोल करते रहे, फिर बड़ी मशक्कत के बाद पक्षकार को यह कहा कि आपकी अपील अदम हाजरी में खारिज हो चुकी है। जिस पर अभिभाषक से नकल का निवेदन किया तो उन्होंने नकल दिलवाने से भी मना कर दिया। जिस पर प्रार्थी स्वयं अन्य अभिभाषक से सम्पर्क कर नकल प्रार्थना-पत्र दिनांक 13.07.2020 को प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 14.07.2020 को नकल प्राप्त हुई और बाजदायशी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने में लगा समय सद्भाविक है जिसे क्षमा कर बाजदायशी प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर निर्णय गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. को स्वीकार किया जाकर प्रकरण का निस्तारण न्यायहित में गुणावगुण पर किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने जवाब बहस प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया कि बाजदायशी प्रार्थना-पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है तथा मियाद बाहर प्रस्तुत करने के कारण संतोषप्रद नहीं होने के कारण प्रकरण को मियाद अधिनियम के तहत खारिज फरमाया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. (रेस्टोरेशन) व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित प्रार्थना-पत्र (रेस्टोरेशन) में हुए विलम्ब को 200/- रूपये कॉस्ट पर स्वीकार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

114/2020/बाज० धन्नालाल V/s धोरी

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2020/00114	
07/07/15	किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना–पत्र में हुए विलम्ब को 200/–रूपये कॉस्ट पर स्वीकार जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 19 जा.दी. (रेस्टोरेशन) को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	